



राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज० जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-उदयपुर/2018/ दिनांक :

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में श्री इन्द्रजीत भोई, कनिष्ठ सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुशलगढ, बांसवाडा जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 07.09.2016 है तथा दिनांक 06.09.2018 को दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करली है तथा कार्मिक द्वारा दिनांक 06.06.2017 को आरएससीआईटी परीक्षा उत्तीर्ण करली है को परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करने के पश्चात दिनांक 07.09.2018 से रूपये 20800(लेवल-5) पर वेतन नियतन किया जाता है ।

कर्मचारी को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि का नकद लाभ देय होगा ।

६२

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-उदयपुर/2018/147

दिनांक : 10/01/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा ।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुशलगढ, बांसवाडा ।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुशलगढ, बांसवाडा ।
4. श्री इन्द्रजीत भोई, कनिष्ठ सहायक को सूचनार्थ ।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे ।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर